निग-2320-II/15 (106)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल

ग्वालियर म0प्र0

1- मासूद अहमद पिता स्व0 श्री मुख्तार अहमद निवासी पुरानी बर्फ फैक्ट्री के पास सिहपुर रोड शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

2- इरफान खांन तनय् सलावत खांन आयु 37 वर्ष पुरानी बर्फ फैक्ट्री के पास सिहपुर रोड शहडोल तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0..आवेदक/निगराकारगण

बनाम

शासन म0प्र0 द्वारा कलेक्टर शहडोल ....अनावेदक/गैरनिगराकार

आवेदन पत्र बावत् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर खण्डपीठ रीवा संभाग रीवा से प्रकरण मासूद अहमद वगैरह बनाम शासन म0प्र0 न्यायालय मे मंगाई जाकर सुनवाई मे लिये जाने हेतु। अन्तर्गत धारा 29 सहपठित धारा 32 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनयी है:-

1- यह कि मौजा गोरतरा प0ह0जमुई रा0नि0मं0सोहागपुर नं0-1 तहसील सोहागपुर म0प्र0 स्थित आराजी नं0-428/1 रकवा 4.53ए0/1.834हे0 का भूमि स्वामी व अधिपत्यधारी आवेदक/निगराकार क01 है तथा इसी मौजे की आराजी नं-402/1ख रकवा 10.00ए0 यानी 4.047हे0 का भूमि स्वामी एवं स्वत्वधारी आवेदक क02/निगराकार क02 है । अपर कलेक्टर शहडोल द्वारा प्र0क0-83/निगरानी/93-94 मे निगराकारगण को पक्षकार बनाये बिना उनके भूमि स्वामी स्वत्व की उक्त आराजी के बावत् भी

----2

इरफान खान

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2320–II/15 निगरानी जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–2016	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण कमांक 82/निगरानी/2009–10 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–5–10 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण कमांक 83/निगरानी/93–94 में पारित आदेश दिनांक 31–8–94 के विरूद्ध श्रीमती शैल कटारे द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, जिसमें आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 71/निगरानी/03–04 दर्ज कर दिनांक 13–7–04 को यथास्थिति का आदेश दिया गया। इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध श्रीमती कुसुमलता सिंह द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 1173–एक/04 पेश की गई जिसमे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 3–7–09 को आदेश पारित करते हुये प्रकरण निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण करने तक प्रकरण में प्रश्नाधीन 74 एकड भूमि के किसी भी हिस्से के किसी भी अगले नामांतरण पर रोक लगाई जाती है। राजस्व मण्डल से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर आयुक्त द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एक आलोच्य आदेश द्वारा उक्त प्रकरण में विवादित प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संहिता की धारा 32 के तहत अन्तनिर्हित शक्तियों के तहत 182 एकड़ भूमि (जिसमें आवेदक कमांक–1 मासूद अहमद के स्वत्व व स्वामित्व की आराजी खसरा	

नम्बर 428/1 रकवा 4.53 एकड़ के मूल नम्बर 428 एंव आवेदक कमांक-2 इरफान खान के स्वत्व व स्वामित्व की आराजी खसरा नम्बर 402/1ख रकवा 10.00 एकड़ के मूल नम्बर 402 ग्राम गोरतरा पटवारी हल्का जमुई रा0नि0म0 सोहागपुर न01 तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 भी शामिल हैं) पर अस्थाई रूप से 13 नामान्तरण को स्थगित करते हुए राजस्व रिकार्ड में भूमि खूरा, कत्तल एवं सुन्दर बेगा तथा म.प्र. शासन जंगल झुड़पी दर्ज करने के आदेश दिनांक 4-5-10 को देते हुए प्रकरण अनावेदकों की तलबी हेतु नियत किया गया। आयुक्त के इस के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 4162-तीन/13, 4167-तीन/13, एवं 4170-तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 24-7-2014 के द्वारा इन तीनों निगरानी के पक्षकारों की विवादित भूमि की सीमा तक आयुक्त, शहडोल के न्यायालीन प्र0क0 82/निगरानी/09-10 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4-5-10 को निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व आवेदकगण को सूचना एंव सनुवाई का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है तथा आवेदकगण के स्वत्व व स्वामित्व की भूमियों को भी संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से म.प्र. शासन जंगल, झुड़पी दर्ज करने का अवैधानिक आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

यह तर्क दिया गया कि इन प्रकरण में जो आवेदकगण है उनके द्वारा प्रश्नाधीन सर्वे नंबरो का पंजीकृत विकय पत्रों से कय किया गया है। सर्वे नम्बर 428/1 रकवा 4.53 एकड आवेदक मासूद अहमद द्वारा दिनांक 21-9-2004 और सर्वे नम्बर 402/1

ख, रकवा 10 एकड आवेदक इरफान खान द्वारा दिनांक 1–7–2004 को कय की गई है। विकय पत्र के आधार पर आवेदको का विधिवत नामान्तरण किया गया है।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिन व्यक्तियों के नाम भूमि दर्ज किए जाने के आदेश दिए है उनमें से खूरा की मृत्यु बहुत समय पूर्व हो चुकी है। आवेदकगण की भूमियों के संबंध में आदेश पूर्व से प्रचलित अन्य व्यक्तियों के प्रकरण में जिसमें आवेदक पक्षकार नहीं रहे हैं में पारित किया गया है जबकि विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि कोई भी कार्यवाही विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का पालन करते हुए ही की जाना चाहियें । आयुक्त द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध अन्य किसी प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि आवेदकगण का संहिता के लागू होने के पूर्व उपरोक्त विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में नाम अंकित था जो कि भूमिस्वामी की प्रविष्टि लगभग 80 वर्षो से चली आ रही है, जो कि ऐसी प्रविष्टि को संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत निरस्त किया जानाँ अवैधानिक है संहिता की धारा 32 का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब कि संहिता में अन्य कोई प्रावधान उपलब्ध न हो, अंत में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टान्त 2011 आर0 एन0–273 एंव 1988 आर0 एन0–187 (उच्च न्यायालय) 1992 आर0 एन0–156 खंडपीठ, 1998 एम0पी0वीकली नोट 26 (उच्चतम न्यायालय) 2010 (3) जेएलजे 77 (उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) का हवाला देते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा

तर्क दिया गया है कि, आयुक्त द्वारा अभी प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया है, प्रकरण का निराकरण अभी गुण–दोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है जंहा आवेदकगण को अपना पक्ष समर्थन रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। उक्त आधार पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवदेन किया गया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण अपर कलेक्टर शहडोल द्वारा प्रकरण कमांक 83/निगरानी/93–94 में पारित आदेश दिनांक 31–8–94 से प्रारंभ हुआ जिसमें विवाद ग्राम गोरतरा की विवादित आराजी से संबंधित है। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती शैल कटारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 1–7–04 को स्थगन आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध प्रकरण राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत हुआ। राजस्व मण्डल ने निगरानी प्रकरण कमांक 1173–एक/04 में दिनांक 13–7–09 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था।

6– आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व मण्डल से प्रकरण प्रत्यावर्तित होने पर उनके द्वारा श्रीमती शैल कटारे द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में ही तहसीलदार से ग्राम गोरतरा की अन्य भूमियों के संबंध में जानकारी चाही गई, जबकि उक्त भूमियों का उक्त प्रकरण से कोई संबंध नहीं था। तहसीलदार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आयुक्त द्वारा अन्य व्यक्तियों की भूमियों के साथ आवेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि आराजी न. 428/1 रकवा 4.53 एकड एवं आराजी न. 402/1ख रकवा 10.00 एकड भूमियों के

संबंध में संहिता की धारा 32 के तहत अन्तर्निहित शक्तियों के तहत राजस्व रिकार्ड में अस्थाई रूप से म.प्र. शासन, जगल झुड़पी दर्ज करने का अंतरिम आदेश प्रदान किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उक्त आदेश अवैधानिक होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि कोई भी कार्यवाही विधि द्वारा स्थापित प्रकिया का पालन करते हुए ही की जाना चाहिए। आयुक्त द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध अन्य किसी प्रकरण में उन्हें पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है। न्यायदृष्टांत 2011 आर0एन0 273 में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि– किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध व्यक्ति को सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है – नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया। संहिता की धारा 32 का उपयोग तभी किया जा सकता है जब संहिता में कोई प्रावधान न हों। प्रस्तुत प्रकरण में आयुक्त ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में आवेदकगण की ओर से उद्धरित न्याय दृष्टांत 1988 आर0एन0 187 उच्च न्यायालय इस प्रकरण में पूरी तरह लागू होता है।

7– आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा जो जानकारी आयुक्त को प्रस्तुत की गई है उसमें उन्होने केवल अधिकार अभिलेख एवं वर्तमान अभिलेख के अनुसार ग्राम गोरतरा की भूमियों पर जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज थे उनकी जानकारी दी गई है। अन्य किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी भूमिस्वामियों के विरूद्ध नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी के आधार पर आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना तथा उन्हें पक्षकार बनाए बिना उनके स्वामित्व में दर्ज

आराजियों को म.प्र. शासन दर्ज किया जाना त्रुटिपूर्ण है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियां वर्ष 1959 से निजी व्यक्तियों के नाम भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित चली आ रही है, जिन्हें आयुक्त द्वारा 50 वर्ष से अधिक अवधि के उपरांत अस्थाई रूप से म.प्र. शासन के नाम अंकित किया है, जो औचित्यपूर्ण न्यायिक एंव विधिसम्मत नहीं है। यदि पिछले 50 वर्षो से अधिक समय पूर्व से चली आ रही प्रविष्टि से शासन व्यथित था तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाना चाहिए थी, जो ना दी जाकर परोक्षरूप से संहिता की धारा 32 का उपयोग करना वैध नहीं माना जा सकता और ना ही श्रीमती शैल कटारे द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में अन्य भूमियों के संबंध मं किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात जहां तक आवेदकगण की भूमियों का प्रश्न है, यह पाया जाता है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश किसी भी दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के प्रकरण कमांक 82/निगरानी/2009–10 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4–5–2010 जंहा तक आवेदकगण के स्वामित्व की भूमियों का संबंध है, उस सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को यह निर्देश दिए जाते है कि, आयुक्त के आदेश के पालन में की गई प्रविष्टियां विलोपित कर आवेदकगण का नाम पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें।

सदस्य